"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई 2012—श्रावण 2, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2012

अधिसूचना

फा. क्र. 1-1/2003/6161/21-ब/छ.ग./12.—छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा-4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से एतद्द्वारा, दिनांक 01-01-2012 से राज्य में कॉलम (2) में दर्शित अनुसार 16 सिविल जिले, जिसमें कॉलम (3) में दर्शित 27 राजस्व जिले समाविष्ट है, घोषित करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिला (2)	राजस्व जिला (3)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	(एक) बस्तर (जगदलपुर)
		(दो) नारायणपुर
		(तीन) कोण्डागांव
2.	बिलासपुर	(एक) बिलासपुर
		(दो) मुंगेली
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	(एक) दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
		(दो) बीजापुर
		(तीन) सुकमा
4.	धमतरी	धमतरी

(1)	(2)	(3)
5.	दुर्ग	(एक) दुर्ग (दो) बेमेतरा (तीन) बालोद
6.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा
7.	जशपुर	जशपुर
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)
9.	कोरबा	कोरबा
10.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	कोरिया (बैकुण्ठपुर)
11.	महासमुंद	महासमुंद
12.	रायगढ़	रायगढ़
13.	रायपुर	(एक) रायपुर (दो) बलौदाबाजार (तीन) गरियाबंद
14.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)	(एक) सरगुजा (अंबिकापुर) (दो) सूरजपुर (तीन) बलरामपुर
16.	उत्तर बस्तर, कांकेर	उत्तर बस्तर, कांकेर

Raipur, the 24th July 2012

NOTIFICATION

No. F-1-1/2003/6161/21-B/12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), and in supersession of all previous Notifications, the State Government on the recommendation of the High Court, hereby declares that with effect from the 01-01-2012, there shall be following 16 (Sixteen) Civil Districts as shown in column (2) comprising the 27 (Twenty Seven) Revenue Districts as shown in column (3) in the State :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Civil District (2)	Revenue District (3)
1.	Bastar (Jagdalpur)	(i) Bastar (Jagdalpur) (ii) Narayanpur (iii) Kondagaon
2.	Bilaspur	(i) Bilaspur (ii) Mungeli

(1)	(2)		(3)
3.	Dakshin Bastar (Dantewada)	(i)	Dakshin Bastar (Dantewada)
		(ii)	Bijapur
		(iii)	Sukma
4.	Dhamtari		Dhamtari
5.	Durg	(i)	Durg
		(ii)	Bemetara
		(iii)	Balod
6.	Janjgir-Champa		Janjgir Champa
7.	Jashpur		Jashpur
8.	Kabeerdham (Kawardha)		Kabeerdham (Kawardha)
9.	Korba		Korba
10.	Koria		Koria
11.	Mahasamund		Mahasamund
12.	Raigarh		Raigarh
13.	Raipur	(i)	Raipur
		(ii)	Balodabazar
		(iii)	Gariaband
14.	Rajnandgaon		Rajnandgaon
15.	Sarguja (Ambikapur)	(i)	Sarguja (Ambikapur)
		(ii)	Surajpur
		(iii)	Balrampur
16.	Uttar Bastar (Kanker)		Uttar Bastar (Kanker)

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2012

अधिसूचना

फा. क्र. 1-1/2003/6163/21-ब/छ.ग./12.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-7 की उप-धारा (1), (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, दिनांक 01-01-2012 से राज्य में कॉलम (2) में दर्शित अनुसार 16 (सोलह) सत्र खण्ड (जिले) जिसमें कॉलम (3) में दर्शित राजस्व जिले समाविष्ट है, घोषित करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	सत्र खण्ड (जिला) (2)	सत्र खण्ड में शामिल राजस्व जिला (3)	
1.	बस्तर (जगदलपुर)	(एक)	बस्तर (जगदलपुर)
		(दो)	नारायणपुर
		(तीन)	कोण्डागांव

(1)	(2)	(3)
2.	बिलासपुर	(एक) बिलासपुर
		(दो) मुंगेली
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	(एक) दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
		(दो) बीजापुर
		(तीन) सुकमा
4.	धमतरी	धमतरी
5.	दुर्ग	(एक) दुर्ग
		(दो) बेमेतरा
		(तीन) बालोद
6.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा
7.	जशपुर	जशपुर
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)
9.	कोरबा	कोरबा
10.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	कोरिया (बैकुण्ठपुर)
11.	महासमुंद	महासमुंद
12.	रायगढ़	रायगढ़
13.	रायपुर	(एक) रायपुर
		(दो) बलौदाबाजार
		(तीन) गरियाबंद
14.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
15.	मरगुजा (अंबिकापुर)	(एक) सरगुजा (अंबिकापुर)
		(दो) सूरजपुर
		(तीन) बलरामपुर
16.	उत्तर बस्तर, कांकेर	उत्तर बस्तर, कांकेर

Raipur, the 24th July 2012

NOTIFICATION

No. F-1-1/2003/6163/21-B/12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (2) and (3) of Section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), and in supersession of all previous Notifications, the State Government in consultation with the High Court, hereby declares that with effect from the 01-01-2012, there shall be following 16 (Sixteen) Sessions Division (District) shown in column (2) comprising the Revenue Districts as

shown in column (3) in the State :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Sessions Division (District) (2)	Revenue District included in the Sessions Division (3)
1.	Bastar (Jagdalpur)	(i) Bastar (Jagdalpur) (ii) Narayanpur (iii) Kondagaon
2.	Bilaspur	(i) Bilaspur (ii) Mungeli
3.	Dakshin Bastar (Dantewada)	(i) Dakshin Bastar (Dantewada) (ii) Bijapur (iii) Sukma
4.	Dhamtari	Dhamtari
5.	Durg	(i) Durg (ii) Bemetara (iii) Balod
6.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa
7.	Jashpur	Jashpur
8.	Kabeerdham (Kawardha)	Kabeerdham (Kawardha)
9.	Korba	Korba
10.	Koria	Koria
11.	Mahasamund	Mahasamund
12.	Raigarh	Raigarh
13.	Raipur	(i) Raipur (ii) Balodabazar (iii) Gariaband
14.	Rajnandgaon	Rajnandgaon
15.	Sarguja (Ambikapur)	(i) Sarguja (Ambikapur) (ii) Surajpur (iii) Balrampur
16.	Uttar Bastar (Kanker)	Uttar Bastar (Kanker)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.